दतला नदी पुनर्जीवन हेतु प्रयास

नर्मदा नदी मुख्य नदी हे उसकी प्रमुख नदी हिरन नदी है हिरन नदी की लम्बाई 136 किलो मीटर उसकी सहायक नदी दतला नदी 23 किलो मीटर लम्बी हे जिसकी पुनर्जीवन यात्रा 24 फरवरी 2022 को खमरवनी कुंडम जबलपुर में स्थित हे खमरवनी का तालाब इसका उद्गम स्थल है से प्रारम्भ होकर दशरमन ढीमरखेडा कटनी पर आकर हिरन नदी मे मिलती है समापन हुई

मानव का जीवन आधार पानी रहा है जहाँ पानी था मानव बसाहट वही थी | विगत वर्षों में जलवायु परिवर्तन एवं जल के अनियंत्रित दोहन तथा उसके संरक्षण के प्रति उदासीनता के कारन हमारी नदियों एवं जल स्रोतों में पानी नहीं रह गया है प्रक्रतिक वनस्पतिय प्रभावित हो रही है, पीने के आभाव में मूक पशु, पक्षी प्राण त्याग रहे हैं | किसानो के मित्र पालतू पशुओं का अस्तित्व संकट में आ चुके है और शीघ्र ही मानव व जीव संकट में आ जायेगा |

आखिर समस्या क्या हे ग्राम में विचार करने के लिए छोड़ा गया?

- नदी का पानी का दो चार लोगों द्वारा आमंत्रित उपयोग ?
- रेत का अनियंत्रित निकासी ? केसे रोके !
- गोचर और सार्वजानिक जमीन पर कब्ज़ा होने के कारण पशुओ को खाने को कुछ नही ? क्या पशुओं को भूंखा मार दिया जाये
- बरसाती पानी को रोकने जंगल, खेत, मैदान, गाँव का पानी गाँव में योजना कोन बनाएगा ?
- क्या सभी सरकारी योजना कुआ, फलोद्यान, खेत तालाब, नन्दन वन, बकरी पालन, शब्जी उत्पादन को प्राप्त करने का प्रयास कौन करेगा?
- क्या जहरीला उगाना खाना और बीमार होना जरुरी हे? जेविक करे स्वस्थ रहें ? कुन्तु कैंसे

सुनियोजित योजना कोन बनाएगा? कब बनायेंगे?

नदी पुनर्जीवन यात्रा 2021 में क्या किया गया

- माता शबरी जयंती 24 फरवरी से 26 फरवरी 2021 तक चलने वाली दतला नदी पुनर्जीवन यात्रा निकाली गई थी

- जैव विविधता समितियों का गठन किया गया
  समाप्त हो रही जैव विविधता के साथ संरक्षण के साथ विलुप्त हो रही वनोषधियो को पुनर्जीवित करने गाव मे ही दो एकड़ जमीन मे एक उद्यान विकसित किये जाये

- ग्राम सभा स्तर पर नदी के पानी रेत पर नियंत्रण संरक्षण के लिए प्रत्येक ग्राम में सरकारी संरक्षण प्राप्त ग्राम रक्षा समिति का गठन किया गया

रास्ते में पड़ने वाले गाव नगर इत्यादि

Øe k¡ d	iapk;r uke	xzke ds uke
1.	[kejokuh	[kejokuh
1.	dpukjh	eq[kkl] Nhrkiky] e>xok] dkjksikuh] /kuokgh] djkSanh
1.	ikyh	ekjflgqM+h] >kjkikuh] cjgkVksyk
1.	usxbZ	fryeu] fdlxh
1.	ykyiqj	lxok] Mkyk
	?kkuk	lqukj[ksM+k] cEgksjh
	n'kjeu	n'kjeu
	vrjlwek	vrjlwek
	vegVk	vegVk
	nknjflgqMh	ekjflgqMh
	dNkjxkWo	dNkjxkWo

पंचायत वार और ग्राम वार दतला नदी और नाले की लम्बाई

Øek¡d	iapk;r uke	xzke ds uke	uke	fd- eh-
1-			nryk	23 fd-eh-
2-	dpukjh	eq[kkl Nhrkiky	<e<ek ukyk	05 fd-eh-
3-	ikyh dpukjh	ikyh dkjksikuh	tqjuk ukyk	08 fd-eh-
4-	?kkuk	?kkuk cEgksjh	lwvk ukyk	08 fd-eh-
5-	usxbZ dpukjh	fryeu fdlxh djkSanh	dFkjh ukyk	08 fd-eh-
6-	n'kjeu	n'kjeu	lw[kk ukyk	12 fd-eh-
7-	ikyh	>kjkikuh	dqnuk ukyk	08 fd-eh-
8-	n'kjeu dNkjxkWo	n'kjeu dNkjxkWo	yHksj unh	10 fd-eh-
[illegible]				[illegible]

nryk unh ds iquthZou ds fy;s izfr iapk;r ctV

Øek¡d	uke		fdlku
1-	unh dk xgjh :i	xgjkbZ 10&15 QhV pkSM+kbZ 40 QhV	8 yk[k Áfr fdeh
2-	pkjkxkg fodkl	cht 0-15xÁfr,dM+ Qsflax 0-60 ,dM+	5 ls 10 ,dM
3-	es<+ ca/kku	0-50 gsDVs;j	20 fdlku
4-	daVwj VWsap	0-50	20 LFkku
5-	xSfc;u	1-00	6
6-	cksYMj caM	0-20	30
7-	vnZu caM	0-10	30
8-	[ksr rkykc	0-80	30 fdlku
9-	Qyks}ku	0-50	10 fdlku
10-	lCth {ks= fodkl	0-30	10 fdlku
11-	fMªi ,jhxs'ku	0-80	10 fdlku
12-	ck¡l o`{kkjksi.k	0-20	05 fdlku

खमरवानी का तालाब

नजरी नक्शा \ गूगल मेप

ग्राम रक्षा समिति

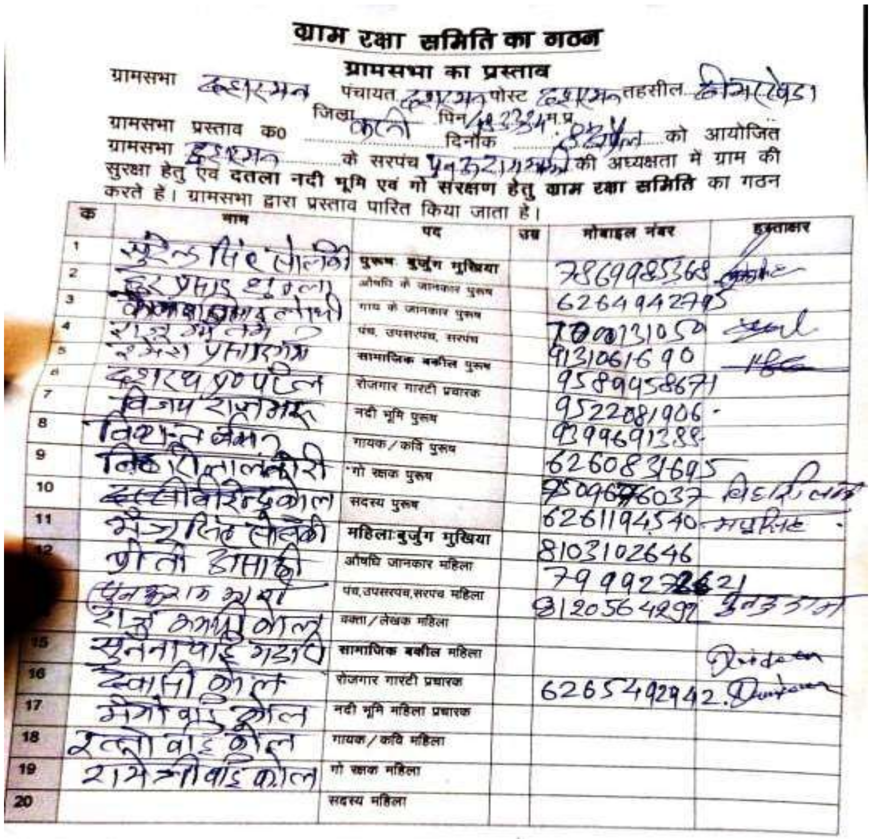

ग्राम रक्षा समिति का गठन

ग्रामसभा का प्रस्ताव

ग्रामसभा [illegible] पंचायत [illegible] पोस्ट [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] पिन [illegible] म.प्र.

ग्रामसभा प्रस्ताव क0 .... दिनांक [illegible] को आयोजित ग्रामसभा [illegible] के सरपंच [illegible] की अध्यक्षता में ग्राम की सुरक्षा हेतु एवं दतला नदी भूमि एवं गो संरक्षण हेतु ग्राम रक्षा समिति का गठन करते है। ग्रामसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है।

क	नाम	पद	उम्र	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
1	[illegible]	पुरूष बुर्जुग मुखिया		7869985368	[illegible]
2	[illegible]	औषधि के जानकार पुरूष			
3	[illegible]	गाय के जानकार पुरूष		6264942795	
4	[illegible]	पंच, उपसरपंच, सरपंच		7000131050	[illegible]
5	[illegible]	सामाजिक बकील पुरूष		9131061690	[illegible]
6	[illegible]	रोजगार गारंटी प्रचारक		9589958671	
7	[illegible]	नदी भूमि पुरूष		9522081906	
8	[illegible]	गायक / कवि पुरूष		9399691388	
9	[illegible]	गो रक्षक पुरूष		6260831695	
10	[illegible]	सदस्य पुरूष		9509676037	[illegible]
11	[illegible]	महिला बुर्जुग मुखिया		6261194540	[illegible]
12	[illegible]	औषधि जानकार महिला		8103102646	
13	[illegible]	पंच,उपसरपंच,सरपंच महिला		7999272621	
14	[illegible]	वक्ता / लेखक महिला		8120564297	[illegible]
15	[illegible]	सामाजिक बकील महिला			[illegible]
16	[illegible]	रोजगार गारंटी प्रचारक		6265492942	[illegible]
17	[illegible]	नदी भूमि महिला प्रचारक			
18	[illegible]	गायक / कवि महिला			
19	[illegible]	गो रक्षक महिला			
20		सदस्य महिला			

महिला मुखिया .... पुरुष मुखिया ....

सरपंच / सचिव .... नाम .... मोबाइल ....

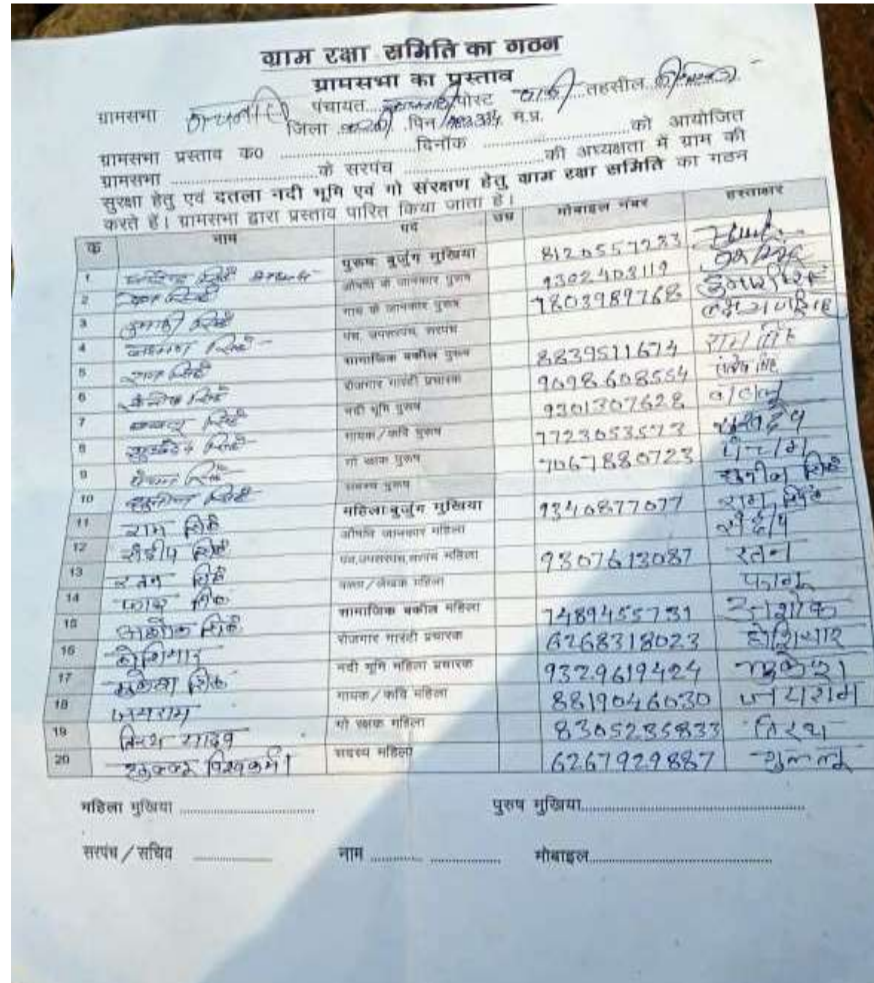

ग्राम रक्षा समिति का गठन

ग्रामसभा का प्रस्ताव

ग्रामसभा [illegible] पंचायत [illegible] पोस्ट [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] पिन [illegible] म.प्र.

ग्रामसभा प्रस्ताव क0 .... दिनांक .... को आयोजित ग्रामसभा .... के सरपंच .... की अध्यक्षता में ग्राम की सुरक्षा हेतु एवं दतला नदी भूमि एवं गो संरक्षण हेतु ग्राम रक्षा समिति का गठन करते है। ग्रामसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है।

क	नाम	पद	उम्र	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
1	[illegible]	पुरूष बुर्जुग मुखिया		[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	औषधि के जानकार पुरूष		[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	गाय के जानकार पुरूष		[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	पंच, उपसरपंच, सरपंच			[illegible]
5	[illegible]	सामाजिक बकील पुरूष		[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	रोजगार गारंटी प्रचारक		[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	नदी भूमि पुरूष		[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	गायक / कवि पुरूष		[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	गो रक्षक पुरूष		[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	सदस्य पुरूष			[illegible]
11	[illegible]	महिला बुर्जुग मुखिया		[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	औषधि जानकार महिला			[illegible]
13	[illegible]	पंच,उपसरपंच,सरपंच महिला		[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	वक्ता / लेखक महिला			[illegible]
15	[illegible]	सामाजिक बकील महिला		[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	रोजगार गारंटी प्रचारक		[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	नदी भूमि महिला प्रचारक		[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	गायक / कवि महिला		[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	गो रक्षक महिला		[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	सदस्य महिला		[illegible]	[illegible]

महिला मुखिया .... पुरुष मुखिया ....

सरपंच / सचिव .... नाम .... मोबाइल ....

नजरी नक्शा

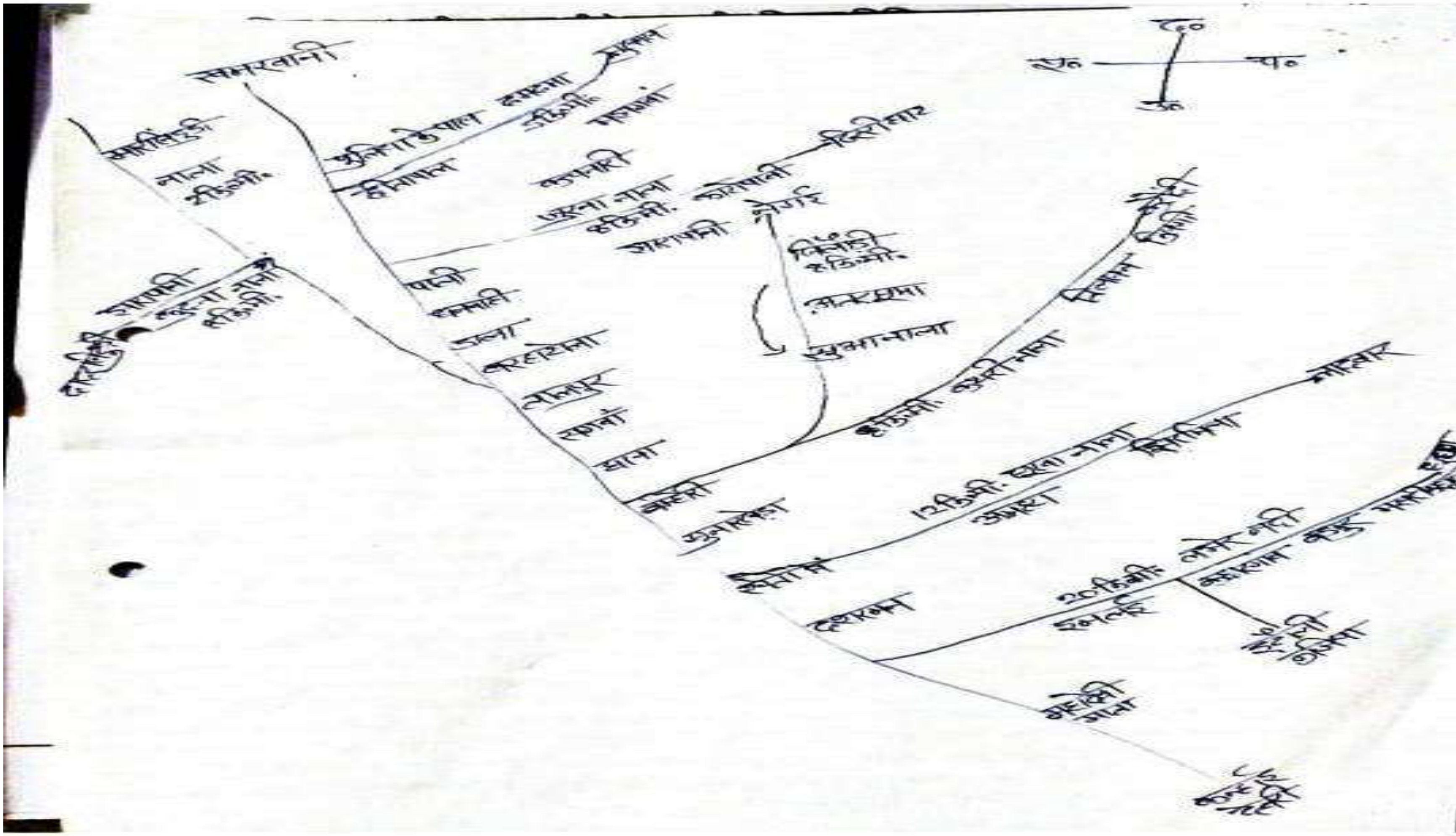

विभिन्न माह में पानी की सिथति

- दतला नदी में केवल चार माह तक पानी रहता हे
- जुलाई   - 100%
- अगस्त - 80%
- सितम्बर - 20%
- अक्टूवर - 10%
- इसके आलावा केवल डाला व पाली के पास दो स्थान हे जहाँ अभी तक बहुत थोड़े एरिया में पानी हे

नदी अस्तित्व संकट क्या हे

- पशु प्यासे मर जायेंगे ?
- धरती रेतीली बंजर हो जाएगी ?
- नदी फिर नदी नही खेती की जमीन होगी ?
- आज नदी सुख गई तो कुए सुख जायेंगे फिर कल बोरवेल भी सुख जायेंगे

हिरन नदी 136 किलो मीटर का सुखना सिहोरा, कुन्डम, पाटन, शाहपुरा, नगर के लिए भारी संकट

कार्यालय जिला पंचायत जबलपुर (म.प्र.)

(महात्मा गांधी नरेगा – शाखा)

क्र0/स्था./जि.पं./जेडपी-24/नदी पुनर्जीवन /2022/ 222, जबलपुर,दिनांक 11-3-2022

प्रति,

1. जिला तकनीकी विशेषज्ञ
   राजीव गांधी जलग्रहण मिशन (वाटर शेड)
   जिला पंचायत जबलपुर
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/सहायक यंत्री
   जनपद पंचायत –कुण्डम/सिहोरा /पाटन/शाहपुरा
   जिला जबलपुर

विषय: हिरन नदी पुनर्जीविन के संबंध में ।

संदर्भ: श्री भारत नामदेव सचिव जय भारतीय शिक्षा केन्द्र मझगवां तहसील सिहोरा जिला जबलपुर का पत्र क्र. क्यू दिनांक 02.03.2022 ।

विषयांतर्गत आपके क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली हिरन नदी सूख जाने के कारण हिरण नदी को पुनः जीवित करने हेतु श्री भारत नामदेव सचिव भारतीय शिक्षा केंद्र द्वारा उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है ।

अतः उक्त संबंध में शासन से प्राप्त नियम/निर्देशानुसार आप अपने क्षेत्रांतर्गत स्थल का निरीक्षण करते हुए नदी पुनर्जीविन कार्यक्रम के तहत कार्य किया जावे । ताकि नदी प्रवाह बहाली कर जल संरक्षण एवं जल संवर्धन किया जा सके ।

संलग्न –उपरोक्तानसार ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जबलपुर

पृ0क्र0/स्था./जि.पं./जेडपी-24/नदी पुनर्जीवन /2022/ 222, जबलपुर,दिनांक 11-3-2022

प्रतिलिपि

1. आयुक्त, म.प्र.राज्य रोजगार गारण्टी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर जबलपुर जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
3. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. श्री भारत नामदेव सचिव जय भारतीय शिक्षा केन्द्र मझगवां पोस्ट मझगवां तहसील सिहोरा की ओर सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जबलपुर

कुछ उपाय जिन्हें करना अवश्यक

- बरसाती पानी गाव के जिस हिस्से मे गिरे उसको उसी स्थान पर रोकने की विस्तारपुर्वक योजना तैयार की जाए ताकि गाव का पानी गाव मे, जंगल का पानी जंगल में, मैदान का पानी मैदान मे, खेत का पानी खेत मे रुके जमीन मे उतारा जाए ऐसी संरचनाओ के लिये सरकार से मदद लेकर कार्य किया जाए
- नदी का पानी पशुओ की जीवन आधार हे पशुओं जिन्दा रहने दिया जाये
- प्रत्येक ग्राम नदी का जल किसी को अनियंत्रित सिंचाई के लिये उपयोग नही करने दें |
- सरकारी जमीन से अवेध कब्जो को हटा कर चारोखर (चारागाह) विकसित किया जाना अति आवश्यक है ताकि पशु भूखे नहीं मरें
- नदी से रेत की निकासी पुर्णता ग्राम सभा द्वारा बनाये गये नियमानुसार हो
- जहर रहित खेती को बढ़ावा पारम्परिक बीजो को संरक्षण हो एवं रासयनिक खाद को बंद किया जाये

न्यूज़

गांव में रहेगा गांव का पानी!

दतला नदी पुनर्जीवन यात्रा के समापन समारोह पर ग्रामीणों ने लिया संकल्प

कटनी, देशबन्धु। मानव जीवन में जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शहर में जहां वर्षा का जल बचाने के लिये वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीकि उपयोग में लाई जाती है तो वहीं ग्रामीण अंचलों में भी अब पानी बचाने के लिये जागरुकता बढ़ते जा रही है। माता शबरी जयंती के शुभ अवसर पर 24 फरवरी से 26 फरवरी 2021 तक चलने वाली दतला नदी पुनर्जीवन यात्रा का समापन दशरमन के मेहंदेई माता मंदिर में चल रहे मेला प्रांगण में किया गया। ग्रामीणों ने संकल्प जल संरक्षण का संकल्प लिया और गांवों का पानी गांव में ही इसकी संरचना तैयार करने पर जोर दिया गया।

इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक भारत नामदेव, मोहन नागवानी, पंजाब सिंह मरावी, सीताराम बेगा, अशोक धुर्वे, राम सिंह बहादुर एवं धर्मेन्द्र के साथ देवी माता मंदिर में मेला के समिति प्रबंधक रमेश गर्ग, बम्होरी के संतोष उपाध्याय, रजनीश गौतम की उपस्थिति गरिमामयी रही। इस मौके पर नदी के उद्गम स्थल को भी पुर्नजीवित करने का संकल्प लिया गया। तालाब के पानी के स्त्रोत का संरक्षण करने का संकल्प लेकर खमरवानी के तालाब से यात्रा प्रारंभ होकर मुखास, छीतापाल, मझगवां, कचनारी, पाली, धनवाही, डाला, लालपुर, गोपालपुर, झारापानी, घाना, सुनार खेड़ा, बम्होरी से होते हुए दशरमन में समापन किया गया।

इस कार्यक्रम का वृहद उद्देश्य हर गांव में जैव विविधता समितियों का गठन कर समाप्त हो रही जैव विविधता को पुनर्जीवित किया जाना एवं नदी एवं भूमि संरक्षण समिति का गठन करके रोजगार गारन्टी योजना एवं ग्रामीण आजीविका के साधनों को विस्तारित किया जाना था। इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि प्रत्येक ग्राम का बरसात में आने वाला जल किसी को सिंचाई के लिए उपयोग नही करने दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी जमीन चारोखर की जमीन पर अवैध कब्जों को हटा कर उसमें चारागाह विकसित किया जाएगा तथा नदी से रेत की निकासी ग्राम के द्वारा बनाए गए नियमानुसार से की जायेगी।

जहां का पानी वहीं पर उपयोग

बरसाती पानी गांव के जिस हिस्से में बरसेगा उसको उसी स्थान पर रोकने का विस्तारपूर्वक प्लॉन तैयार किया जाएगा ताकि गांव का पानी गांव में रहे, जंगल का पानी जंगल में, मैदान का पानी मैदान में, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में ही जमीन में ही रहे। ऐसी संरचनाओं के लिए सरकार से मदद लेकर कार्य किया जाएगा इस मौके पर जहर रहित खेती को बढ़ावा देने एवं रासायनिक खेती को बंद करने आदि बिंदुओं पर ग्रामों में चर्चा की गई।

विचार विमर्स सुझाव

फोटो यात्रा 2021

दवला नदी पुनजीवन यात्रा
आदिवासी अधिकार संघ कटनी
छीतापाल, मझगवां कचनारी
डाला, लालपुर,
सुनारखेडा, दशरमन

खमरवानी प्रथम बैठक

डाला गठन

बम्होरी गठन

रामलीला मण्डल
नदी पुनर्जीवन यात्रा
ANIL
ANIL
ANIL

दतला नदी महोत्सव कार्यक्रम

नदी महोत्सव
कटनी (म.प्र.)

दतला नदी महोत्सव की अनुसंसाये

दतला नदी महोत्सव कार्यक्रम की अनुशंसायें

ढीमरखेडा जिला कटनी मध्यप्रदेश

जीवित दतला नदी—सशक्त नर्मदा

मध्यप्रदेश की जीवन रेखा माँ नर्मदा मुख्य नदी की प्रमुख नदी हिरन की सहायक नदी दतला नदी के पुनर्जीवन हेतु तीन सालों से समन्वय कर ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को जागरूक करने दतला नदी महोत्सव दिनाँक **16—17 अप्रेल 2022 को विरासन माता प्रांगण कचनारी पंचायत ढीमरखेडा जिला कटनी मध्यप्रदेश में आयोजित** कार्यक्रम ग्रामरक्षा समिति का महासंघ इन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर अनुशंसा करता है। हमारी मांग है कि—

1. दतला नदी के दोनों तटों पर उनकी अपनी (नदियों की) तट सीमा नदियों की चोडाई उनके उच्च स्तरीय प्रवाह की पहचान कर न्यूनतम हरित क्षेत्र निर्धारित कर कृषि पर पूर्ण प्रतिबंध हो व किसी प्रकार का निर्माण 500 मीटर तक नही हो उनको सरकारी राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की व्यवस्था बने।
2. दतला नदी के दोनों तटों पर सरकारी जमीनों की पहचान कर खाली करवाई जायें उनमें चारागाह विकसित किये जाये शैलपर्ण उद्यान और वृक्षारोपण के कार्य स्वीकृत कर विकसित किये जायें।
3. "केच द रेन" के अन्तर्गत रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत दतला नदी तटबंध सुधार कार्य एवं गली प्लग बोल्डर बंड के कार्य करवाये जायें। नजदीक के खेतों में मेढ बंधान किया जाये।
4. सभी पुराने तालाबो का रिकार्ड दुरूस्ती के साथ उन्हें पुनर्जीवत किया जाये।
5. सभी 21 गॉव में नये अम्रत तालाबो का निमाण किया जाये उनके कैचमेंट को विस्तारित किया जाये उनका ओवरफलो दतला नदी में हो।
6. नदियों के आस पास प्रत्येक ग्राम की पहाडियों पर कंटूर ट्रेंच बनाकर वृक्षारोपण के कार्य स्वीकृत कर पशु चराई प्रतिबंधित किया जाये।
7. **ढीमरखेडा की ग्राम रक्षा समिति ग्रामसभा द्वारा गठित हो जिसका उपयोग केवल खबरी तंत्र के लिये नही? बल्की** गॉव की सम्पत्ती पानी, रेत, बजरी तथा नदी संपदा की निगरानी के लिए प्रशिक्षण के साथ अधिकार और सुरक्षा दी जाये।
8. **ग्रामसभा अथवा ग्रामरक्षा समिति को ग्राम अनुशासन हेतु नदी संपदा तथा पानी, रेत, बजरी का अनियंत्रित निकासी** रोकने और निकासी पर न्यून्तम शुल्क निर्धारित कर वसूलने का अधिकार हो।
9. गंदा पानी और कचरा सीधे नदी या तालाब में प्रवाहित हो तो, इसके लिए स्थानीय ग्रामसभा पंचायत, जनपद **पंचायत, पंचायत सचिव, पटवारी, आर आई, तहसीलदार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दोषी माना जाये दोषियो** को स्थानीय निकाय को सामूहिक चेतावनी और दंडित करने का अधिकार हो।
10. पुराने तालाबों गजनन्दा तालाब किसगी नम्बर एक और दो का पुनउध्धार की योजना सिंचाई द्वारा बनाई जाये
11. नदी नालों पुराने तालाबों का पुनर्जीवन कर गाद पर सघन वृक्षारोपण हो शोधन के बाद बचे हुए जल से वृक्षों की सिंचाई और न्यूनतम दर पर खेतों की सिंचाई व्यवस्था संभव है। इसके लिए सांसद, विधायक निधि का उपयोग अपना नैतिक दायित्व मानकर एक सहायक नदी और चार पुराने तालाब की जिम्मेदारी ली जाये।
12. जिला या स्थानीय प्रशासन प्रावधान लागू करे कि प्रत्येक बोरवेल (पीने और सिचाई) में बरसाती पानी से रिर्चाजिंग **सिस्टम अनिवार्य हो, प्रोत्साहन स्वरुप शोकपिट की राशि का अनुदान दिया जाये और नही होने पर** 25,000/—दन्ड हो।
13. जिला या स्थनीय प्रशासन बोरवेल के लिये एक शपथ पत्र बुलवाये ओर बरसाती पानी से रिर्चाजिंग सिस्टम **अनिवार्य कर प्रावधान लागू करने बाध्य करे बोरवेल खुले पाये जाने पर 10,000/— दण्ड का प्रावधान हो। खुले** होने की सूचना दाता को 1000/— ईनाम दिया जाये
14. प्रत्येक गॉव में 2 एकड से अधिक जमीन धारक प्रत्येक किसान को खेत तालाब बनाना अनिवार्य हो

भारत नामदेव 9425466762,
संयोजक —दतला नदी महोत्सव एवं
जय भारती शिक्षा केन्द्र मझगवॉ
तह—सिहोरा जिला जबलपुर मध्यप्रदेश 483334,
jbsk.jbp89@gmail.com

जगन्नाथ गौतम 8326346133
अध्यक्ष महासंघ ग्राम रक्षा समिति
ढीमरखेडा जिला कटनी मध्यप्रदेश
Email-

;fn ge ugha psrs rks fuf’pr tkfu;s vkt i'kq l;kls ej jgs gaS dy gekjk uEcj Hkh utnhd gS D;k vki vugskuh dk bUrtkj dj jgsa gaS \ viuk ykyp NkfsM;+s lc feydj unh dks cpkbZ;s dy unh gedks cpk;sxh

धन्यवाद